राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय आर.ए.एस

राजस्व वाद :– 37 / 2018

तारीख दायर :'– 07 / 08 / 2018

प्रार्थी :–

1. कन्यादेवी पत्नि कस्तुरराम जी जाति–सीरवी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)

प्रतिवादीगणः–

1. हॅसाराम पुत्र स्व. चेलाराम सीरवी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)
2. रमेश पुत्र हॅसारामजी जाति–सीरवी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी हाल मिठास स्वीट्स अलीबाग जिला–रायगढ , महाराष्ट्र
3. पोकरी पत्नि रूपाराम जी जाति–सीरवी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)
4. दला गोद पुत्र स्व. पेमाजी जाति– सीरवी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. श्री प्रवीण रावल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से 4 एक पक्षीय।

निर्णय दिनांक :– 30/7/2019

प्रार्थीनी ने पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आर.टी एक्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वाद संख्या 13 / 2018 मे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04 / 06 / 2018 को रिव्यू के संबंध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी ने उक्त वाद न्यायालय मे बंटवाडा / घोषणा व निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था। जिसमे पत्रावली प्रति वादीगण के नोटिस की तामील, तलबी के स्टेज पर नियत थी।

उक्त पत्रावली राजस्व केम्प ग्राम नारलाई में प्रस्तुत हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के वाद की सुनवाई एक तरफा की जाकर निर्णय पारित कर दिया। जबकि प्रार्थीनी को सुनवाई का पूर्ण मौका नही देकर नजरअदांज करते हुए निर्णय पारित किया गया। उक्त त्रुटि पारित निर्णय मे होना प्रथम दृष्टयता वाद प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है जबकि न्यायालय को प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेज का विवेचन कर प्रार्थीनी को सुना

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना था जो नही किया गया। प्रार्थीनी को वाद मे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके प्रतिरक्षा के आधारो को नजरअदांज करते हुए अप्रार्थी के मिथ्या आधार पर प्राकृतिक एवम न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित निर्णय को अपास्त कर प्रार्थीनी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित कर न्याय प्रदान करावे।

प्रार्थीनी ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका देकर प्रस्तुत दस्ताबेज का अवलोकन कर एवम साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रार्थीनी की अनुपस्थित में ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये वो उक्त प्रकरण में लागू नही होते है। चूंकि प्रार्थीनी का प्रस्तुत वाद पुश्तैनी सम्पति दादा की सम्पति मे कोपासनर के तहत अपने हिस्से बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमे न्यायालय को गलत तवज्जो दिलाकर त्रुटिपूर्ण आदेश करवाया एवं जिसे अपास्त कर पूर्ण सुनवाई फरमावे।प्रार्थीनी ने निवेदन किया कि राजस्व केम्प मे निर्णय पारित किया, जिसमे जिसकी उपस्थिति दर्ज की उनको पक्षकार बनाया है।

वाद संख्या 13/2018 में प्रार्थीनी को बिना सुने पारित कर एकतरफा निर्णय का पूनर्विलोकन कर प्रार्थीनी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर न्याय प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र पुन र्विलोकन याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 बावजूद नोटिंस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को काफी अवसर देने एवम एव अन्तिम अवसर दिये जाने के पश्चात जबाव प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाव का कथन है कि धारा 229 आरटी एक्ट के तहत पुनर्विलोकन की कार्यवाही मे मात्र निर्णय मे पारित तुच्छ त्रुटि को ही सुधारा जाता है न कि विधि के सिद्धान्तो द्वारा पारित निर्णय को वर्णित आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू नही होते है जिसमे प्रार्थना पत्र या पुनर्विलोकन याचिका मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाव मे बताया कि प्रार्थीनी ने अपने पिता के जीवनकाल मे गलत वाद पत्र पेश किया था जिसका प्रार्थीनी को कोई हक अधिकार नही है।न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रार्थीनी ने कोई अपील रिवीजन, अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत नही की है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीनी ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व केम्प नारलाई मे प्रार्थीनी के वाद पत्र की सुनवाई मे प्रार्थीनी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना, बिना सूचना, बिना नोटिस तामील के एक तरफा त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया जाकर वाद खारिज किया गया। जो प्राकृतिक एवम न्याय के सिद्धान्त के विपरित पारित किये गये निर्णय को अपास्त कर प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र याचिका स्वीकार कर सुनवाई का विधिवत सूचना पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित कर प्रार्थीनी को न्याय दिलाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीनी द्वारा धारा 229 आरटी एक्ट के तहत पूनर्विलोकन की कार्यवाही मे मात्र निर्णय को पारित तुच्छ त्रुटि को ही सुधारा जाता

उपखण्ड अधिकारी

है। जिससे प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बहस के सन्दर्भ में Citation 2014 DNJ (SC) पेज 40 प्रस्तुत किया गया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, मूल राजस्व वाद संख्या 13/2018 मय का अवलोकन किया गया। पारित निर्णय दिनांक 04/06/2018 का भी गम्भीरता पूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रकरण में सलग्न प्रार्थीनी को जारी सम्मन अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीनी कन्या देवी पत्नी कस्तूरराम जी जाति–सीरवी निवासी–नारलाई के नाम न्यायालय द्वारा दिनांक 04/05/2018 को जारी सम्मन/नोटिस मे ग्राम पंचायत नारलाई मे दिनांक 04/06/2018 को उपस्थित होने की सूचना है। प्रार्थीनी का नोटिस अदम तामील प्राप्त होना जाहिर है। न्यायालय द्वारा पुनः प्रार्थीनी को पुन नोटिस जारी करना चाहिए था जो जारी नही कर वादीनी कन्यादेवी की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर तथा प्रतिवादी संख्या सं. 1,4,6,7 की उपस्थिति बताई जाकर वादीनी का प्रस्तुत वाद खारिज किया जाना जाहिर होता है। जबकि पत्रावली प्रथमतः नोटिस जारी व तामील के स्टेज पर नियत थी। प्रकरण में प्रार्थीनी कोक पुनः नोटिस जारी कर सूचित किया जाकर आगामी तारीख पेशी दी जानी थी। जो नही दी गई तथा वाद खारिज कर दिया गया।

अतः वाद में न्यायालय द्वारा उक्त प्राथमिक स्टेज पर ही प्राकृतिक एवम नैसर्गिक सिद्वांतों के विपरित प्रार्थीनी को सूचित किये बिना जारी नोटिस के प्रार्थीनी/वादीनी की अनुपस्थिति बताई जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया जाना "कानूनी त्रुटि प्रकट होना प्रतीत होता है"। जो कि आर.टी एक्ट की धारा 229 के बिन्दू संख्या 35 **(REVIEW WHEN PERMISSIBLE)** के परिपेक्ष्य मे आने से वादीनी/प्रार्थीनी की पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आरटी एक्ट व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। एवम वाद संख्या 13/2018 मे पारित एक तरफा निर्णय दिनांक 04/06/2018 मे प्रार्थीनी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनर्विलोकन के आदेश दिये जाते हैं। एक तरफा निर्णय 04/06/2018 अपास्त किया जाता हैं प्रकरण संख्या 13/2018 पुन दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

फैसला आज दिनांक 30.07.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)